महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद न्यायालय हाजा मे पेश हो चुका है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार का है। रिपोर्ट पेश है।

28/12/16 रिपोर्ट सारिस्ता देखी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी को दिनांक 31/1/17 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम देवलीकला तहसील मनोहरथाना के खाता सं. 59 की खसरा नं. 515/207 की 6.15 बीघा आराजी मे स्थित चाह से प्रार्थी को उसके हिस्से की 1/2 भाग आराजी को सिंचित करने से नहीं रोके न किसी अन्य से रुकवायें। यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 31/1/17 को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

31/1/17 PO दिनांक 7/2/17 को पेश हो

7/2/17 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। अप्रार्थी दिनांक तक T.I. के [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब T.I. दिनांक 22/2/17 को पेश हो

22/2/17 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप./ पत्रावली वास्ते जवाब बहस T.I. दिनांक 8/3/17 को पेश हो

8/3/17 PO दिनांक 23/3/17 को पेश हो

23/3/17 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। बहस P.I. सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/3/17 पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

30/3/17 - पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act मे वाद प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम देवरीकलां तहसील मनोहरथाना मे नाके की खाता नं. 59 की ख.नं. 513/205 की 2.05 बीघा मे से 0.10 बीघा एवं ख.नं. 515/207 की 6.15 बीघा में से 3.10 बीघा आराजी काश्त प्रार्थी के खाते की है। उक्त आराजी को तत्कालीन खातेदार धन्नालाल से 10 लाख रुपये मे प्रार्थी ने अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) आदि से सम्पूर्ण आराजी को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। उक्त आराजीयात मे से ख.नं. 515/207 की 3.10 बीघा आराजी मे प्रार्थी की फसल खड़ी है और उक्त आराजी मे स्थित चाह से प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी मे स्थित फसल की सिंचाई नहीं करने दे रहे है। अतः आराजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को उक्त चाह से सिंचित करने मे

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O.

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करे।

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र की अधिवक्ता की बहस पत्रावली सुनने के पश्चात इस न्यायालय से दिनांक 22/12/16 को अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया गया कि खसरा 515/207 की 6.15 बीघा काश्त में स्थित चाह से प्रार्थिया को उसके हिस्से की 1/2 भाग काश्त को सिंचित करने से नहीं रोके।

अप्रार्थी की ओर से दिनांक 22/2/17 को प्रार्थना पत्र के विपरीत जवाब अधिवक्ता जरिये पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष श्रवित की गयी। दौराने बहस प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना के तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थिया द्वारा खसरा 513/205 की 0.10 बीघा व 515/207 की 3.10 बीघा कुल 2 किता की 4.00 बीघा काश्त जरिये रजिस्टर्ड विक्रयनामा से चन्द[illegible] नन्दा से खरीद की थी जो उपपंजीयक कार्यालय क्र. 591 से दिनांक 20.12.15 को प्रार्थिया के खातेदारी दर्ज हुयी थी इस काश्त में स्थित चाह से प्रार्थिया अपने हिस्से की काश्त में बोई गयी फसल को सिंचित करना चाहती है लेकिन अप्रार्थी उक्त चाह से सिंचित नहीं करने दे रहे है अतः अप्रार्थी को ताफैसला वाद न्यायालय से जारी स्थगन आदेश को बढ़ाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रार्थिया ने तत्कालीन खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O.

धारा डी० नन्दा से खसरा 513/205 की 0.…
515/207 की 3.10 बीघा कुल 2 किता की 4.00
बीघा आराजी जो रजिस्टर्ड विक्रयनामा दिनांक
2/12/15 को कराया गया है लेकिन रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र में चाह का हिस्सा खरीदने का कहीं
भी अंकन नहीं है यदि प्रार्थिया द्वारा चाह
का हिस्सा भी खरीदा होता तो निश्चित उसको
रजिस्ट्री में उक्त बात का अंकन किया होता।
प्रार्थी द्वारा एक इकरारनामा दिनांक 2.12.15 की
फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें खातेदार
धारा डी० नन्दलाल द्वारा ख०नं० 207 की आराजी
में स्थित चाह का 1/2 हिस्सा बैनामा करने
की बात अंकित की है चूंकि प्रार्थिया को
दिनांक 2/12/15 को ही आराजी को बैनामा
की रजिस्ट्री तहसील कराया गया है उसी दिन
चाह के बैनामा का इकरारनामा एक प्रकार
से इकरारनामा पर अंकित किया है जबकि
धारा द्वारा आराजी के बैनामा के साथ चाह
का भी बैनामा किया है तो उसे रजिस्टर्ड विक्रय-
पत्र में अंकित क्यों नहीं किया गया था।
पृथक से इकरारनामा प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता
हुई। प्रार्थिया द्वारा चाह का हिस्सा विक्रयनामा
हेतु जो इकरारनामा प्रस्तुत किया है उक्त स्टाम्प
खरीदने की दिनांक 01/01/2015 अंकित है
और उस पर इकरारनामा दिनांक 02/12/15 अर्थात
एक वर्ष के पश्चात लिखा गया है जो भी
संदेह प्रकट करता है इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O.

सारहीन झूठे तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता/पक्षकारों की बहस पर मनन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया द्वारा खसरा नं. 513/205 की 0.10 बीघा व खसरा नं. 515/207 की 3.10 बीघा कुल 2 कितां की 4.00 बीघा जमीन ऑन रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की है जो इन्द्राज नं. 591 दिनांक 20/12/15 से प्रार्थिया के खाते दर्ज हुई है इस रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में कहीं भी चाह का हिस्सा बेचान करने का अंकन नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया द्वारा चाह का कोई हिस्सा खरीद नहीं किया है। प्रार्थिया द्वारा एक 50/- के N.J.S. पर लिखा हुआ इकरारनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसपर तत्कालीन खातेदार कालूलाल पुत्र नन्दलाल द्वारा खसरा नं. 207 में स्थित चाह का 1/2 हिस्सा प्रार्थिया को बेचान करना अंकित किया है यह स्टाम्प इकरारनामा दिनांक 02/12/15 को लिखा गया है जबकि इसी दिनांक को प्रार्थी ने उक्त विक्रेता से जमीन को क्रय करने की रजिस्ट्री तस्दीक करवायी है यदि उक्त खातेदार द्वारा जमीन के साथ ही अपने स्थित चाह का 1/2 हिस्सा भी बेचान किया होता तो इसी रजिस्ट्री में अंकित किया जाना चाहिये था, प्रथक से इकरारनामा किये जाने का क्या औचित्य है। साथ ही जमीन को बेचान की स्टाम्पें दिनांक 01/12/15 को खरीदे गये है जबकि प्रथक से चाह का हिस्सा बेचान का जो

P.T.O

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आयमपन लिए गया है वह स्टाम्प । वह प्रतिज्ञा
दिनांक 01/01/2015 को क्रय किया गया है
इस प्रकार दिनांक 1/1/15 को क्रय स्टाम्प पर
1 वर्ष बाद दिनांक 2/12/15 को चाह का हिस्सा
बैनामा का बयान लिखे जाने अपने आप में
संदेह प्रकट करता है। इस प्रकार प्रार्थी का
चाह का हिस्सा क्रय किया जाना पत्रावली पर
उपलब्ध रिकार्ड से सिद्ध नहीं होता है अतः
प्रार्थियों के तथ्य सिद्ध नहीं होने से अधीनस्थ
न्यायालय से जारी प्रश्नगत आदेश दिनांक
22/12/16 को खारिज किया जाता है। पत्रावली
फीडिंग (अमल) होकर [illegible] पाड के सिलाप से
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना